

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या-14/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

भोजराज पुत्र हीरा गुर्जर, जाति गुर्जर, आयु बालिग, पेशा काश्तकारी, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. इन्द्रलाल पिता खाना जी, जाति कुम्हार, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. प्रेमराज पिता गोपाल जी, जाति जाति कुम्हार, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. भैरू पिता शंकर जी, जाति कुम्हार, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. मंगीलाल पिता धन्ना जी, जाति कुम्हार, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. बरदीलाल पिता धन्ना जी, जाति कुम्हार, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. श्री भूमिधारी जरिय तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.....विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव
अप्रार्थी की ओर से :- पेरोकार सरकार।

दिनांक:- 21.05.2025

—:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 128 खसरा संख्या 102,103,104,105 रकबा क्रमशः 0.3800 है0, 0.4300 है0 0.5900 है0 0.5400 है0 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.9400 हैक्टियर भूमि प्रार्थी के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 102,103,104,105 के पड़ोसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास में फसल को रखने को लेकर व आये दिन में घास फूस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 128 खसरा संख्या 102,103,104,105 रकबा क्रमशः 0.3800 है0, 0.4300 है0 0.5900 है0 0.5400 है0 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 1.9400 हैक्टियर भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

